20

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषिति:-1. समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

2. समस्त संभागीय आयुक्त,
राजस्थान ।

क्रमांक : 6(12)राज-6/2001/6 जयपुर, दिनांक:-13.8.2001

परिपत्र

विषय:-चरागाह/सिवायचक जमीनों पर बढ़ते अतिक्रमणों को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु ।

राजकीय चरागाह/सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए अतिक्रमणों को रोकने के लिए की जाने वाली कार्यवाही तथा किए गए अतिक्रमणों को हटाने के सम्बन्ध में बनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं । अतिक्रमणों को हटाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत पर्याप्त शक्तियाँ राजस्व अधिकारियों को दी हुई हैं । इस सम्बन्ध में समय-समय पर कार्यवाही किए जाने हेतु परिपत्र जारी किए गए हैं । जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1.	परिपत्र सं० प० 6(21)राज-4/83	दिनांक 2.2.83
2.	परिपत्र सं० प० 6(18)राज-6/91/7	दिनांक 20.5.93
3.	परिपत्र सं० प० 6(18)राज-6/91/30	दिनांक 20.7.94
4.	परिपत्र सं० प० 6(18)राज-6/91/15	दिनांक 23.10.96
5.	परिपत्र सं० प० 6(5)राज-6/98	दिनांक 6.4.98

राज्य सरकार के स्तर पर यह महसूस किया जा रहा है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में विभिन्न संशोधनों के अन्तर्गत चरागाह/सिवायचक भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को प्रभावी ढंग से रोकने के संबंध में जो कार्यवाही की जानी चाहिए थी वह उचित रूप से तहसील एवं जिला स्तर पर सम्पन्न नहीं की गई है । इससे जहां एक ओर अतिक्रमणों को बढ़ावा मिल रहा है वहीं दूसरी ओर प्रतिवर्ष अतिक्रमण के रूप में काफी संख्या में प्रकरण दर्ज होते है जिससे राजस्व अधिकारियों का कार्यभार बढ़ता है । अत: इस संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही उपरोक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु की जावे :-

1. पटवारी/गिरदावर का उत्तरदायित्व होगा कि जैसे ही उनके क्षेत्र में चरागाह/सिवायचक/गैर मुमकिन पहाड़, नदी, रास्ते आदि पर अतिक्रमण किया किया जाये तो वे तुरन्त ही अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किए गए क्षेत्र में बोई-हुई फसल को उखाड़ देने की कार्यवाही करें तथा कोई निर्माण कार्य करने हेतु

....2/

कोई सामान डाला है या निर्माण प्रारम्भ किया है तो उसे ध्वस्त कर तत्काल सामान उठवा लिया जावे ।

2. यदि अतिक्रमण को किसी कारण से उठवाया नहीं गया है तो तहसीलदार/एस.डी.ओ. द्वारा नायब तहसीलदार एवं पटवारी/गिरदावर के खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही की जावे । एवं मौके पर फसल को उथलने के आदेश जारी करें ।

3. उपरोक्त परिपत्रों में से परिपत्र दिनांक 23.10.96 में उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा धारा 91 में संशोधन कर नई उपधारा (6) जोड़ी गई है । जिसके अन्तर्गत चरागाह भूमि पर किए अतिक्रमण को यदि 15 दिन की नोटिस के अंदर अतिक्रमी अतिक्रमण नहीं हटाता है तो दोष सिद्ध होने पर कमसे कम एक माह व अधिकतम तीन वर्ष तक का कारावास हो सकता है एवं सौ से दो रू0 20,000 के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है । अतः इस परिपत्र के अन्तर्गत स्पष्ट की गई विधिक प्रक्रिया का अनुसरण कर प्रभावी कार्यवाही की जावे । इसके अलावा सिंचाई के बाबत भी भाग 1 व 2 पर उल्लेखित प्रक्रिया अपनावे ।

4. क्रम संख्या 1,2 एवं 3 की प्रक्रिया गैरमुमकिन भूमियों पर भी लागू की जावे ।

राज्य सरकार ने बढ़ते हुए अतिक्रमणों को रोकने के लिए यह भी निर्णय लिया है कि राजस्व अधिकारी/नायब तहसीलदार/तहसीलदार/उपखंड अधिकारी/जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टरगण की जिम्मेदारी का स्तर भी तय किया जाए तथा एक समय सीमा अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में निर्धारित की जाए । अतः इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के कार्य की समीक्षा उपखण्ड अधिकारी पाक्षिक रूप से करेंगे तथा जिला स्तर पर यह समीक्षा प्रत्येक माह जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी । इस समीक्षा में उपखण्ड अधिकारी तथा जिला कलेक्टर लापरवाही करने वाले उनके अधीनस्थ अधिकारियों के संबंध में उनका उत्तर-दायित्व निर्धारित कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तत्परता से प्रारंभ करेंगे ।

2. जिला स्तर पर की गई समीक्षा का प्रतिवेदन प्रतिमाह जिला कलेक्टर द्वारा संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा तथा संभागीय आयुक्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर अपनी टिप्पणी राजस्व मंडल के अध्यक्ष को तथा राजस्व सचिव को प्रेषित करेंगे । इस टिप्पणी में स्पष्ट रूप से जिले में अतिक्रमण नहीं रोकने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का उल्लेख किया जाएगा ।

उपरोक्त निर्देशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संलग्न प्रपत्र अनुसार चैक-लिस्ट जारी की जाती है, जिसके अनुसार संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी स्तर पर रजिस्टर संधारण कर कार्यवाही करेंगे ।

राजस्व सचिव

प्रतिलिपि: 1. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री/मा0राजस्वमंत्री/मुख्य सचिवमहो0/राजस्वसचिव
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर, समस्त उप सचिव, राजस्व।

शासन उप सचिव

चैक-लिस्ट का प्रपत्र

सिवायचक/चारागाह भूमि परअतिक्रमण को रोकने हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी/कर्मचारी स्तर पर तैयार की जाने वाली चैक-लिस्ट का प्रपत्र :-

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी स्तर	चैक-लिस्ट के अनुसार संपादित कार्य
1.	पटवारी स्तर पर	1. वर्ष में 2 बार संपन्न गिरदावरी से पूर्व सिवायचक एवं चारागाह भूमि की गिरदावरी संपन्न करना एवं रजिस्टर में दर्ज करना । 2. अतिक्रमण की रिपोर्ट गिरदावर को तीन दिन में प्रस्तुत करना । 3. प्रकरण में नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा बेदखली एवं फसल कुर्क करने के आदेश जारी होने के पश्चात् मौके पर फसल कुर्क की जाकर फसल पकने से पूर्व उसे निर्देशानुसार नीलाम कर उसकी राशि राजकोष में जमा करने की कार्यवाही करना एवं यह सुनिश्चित करना कि फसल का लाभ अतिक्रमी न उठा पाए तथा मौके से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जावे ।
2.	गिरदावर स्तर पर	1. पटवारी रजिस्टर से प्रत्येक रिपोर्ट की जांच कर तीन दिवस में सर्किल ऑफिसर (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) को रिपोर्ट प्रस्तुत करना । 2. प्रकरण में नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा बेदखली एवं फसल कुर्क करने के आदेश जारी होने के पश्चात् पटवारी को साथ लेकर मौके पर फसल कुर्क की जाकर फसल पकने से पूर्व उसे निर्देशानुसार नीलाम कर उसकी राशि राजकोष में जमा करने की कार्यवाही करना एवं यह सुनिश्चित करना कि फसल का लाभ अतिक्रमी न उठा पाए तथा मौके से अतिक्रमी को भौतिक रूप से पटवारी के साथ जाकर बेदखल किया जावे ।

... ...4/-

3.	तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्तर पर	1. गिरदावर से प्राप्त अतिक्रमण की रिपोर्टों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्धारित रजिस्टर में प्राप्ति पश्चात् तीन दिवस में दर्ज करना व एक सप्ताह में सभी को नोटिस जारी करना । 2. सर्किलवार प्रकरणों की छंटनी कर इस प्रकार प्रकरणों के निस्तारण का कार्यक्रम भी बनाया जावे जिससे समस्त प्रकरण अधिकतम एक माह की अवधि में निस्तारित हो जावे । 3. अतिक्रमियों को मौके से बेदखली के आदेश पारित करने व पैनल्टी आरोपित करने के साथ-साथ ही अतिक्रमित भूमि पर विद्यमान फसल को कुर्क की जाकर उसकी नीलामी गिरदावर/पटवारी से कराई जावे व राशि राजकोष में जमा कराई जावे । एवं सुनिश्चित कराया जाए कि अतिक्रमी फसल को न ले जाए तथा उसका कोई लाभ न ले सके ।
4.	उपखंड अधिकारी स्तर पर	1. तहसील का भ्रमण कर नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा कर उसका प्रतिवेदन एक सप्ताह में जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना ।
5.	जिला कलैक्टर/अतिरिक्त जिला कलैक्टर स्तर पर	1. जिला कलैक्टर/अति० जिला कलेक्टर द्वारा भ्रमण कर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा कर प्रतिवेदन संभागीय आयुक्त को एक सप्ताह में प्रेषित करना ।
6.	संभागीय आयुक्त स्तर पर	1. संभागीय आयुक्त द्वारा कलैक्टर से प्राप्त समीक्षा पर अपनी टिप्पणी अंकित कर राजस्व विभाग को एक सप्ताह में प्रेषित करना ।